



बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in, Email- biada@rediffmail.com Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

बियाडा के बियाडा निदेशक पर्षद् की 47वीं बैठक दिनांक 23.01.15 की कार्यवाही की कंडिका 3 में निर्णय लिया गया है कि - एक्जिट पॉलिसी के तहत प्राप्त भूमि का आवंटन एकमुश्त भुगतान के आधार पर किया जायेगा, परन्तु आवंटन की राशि अत्यधिक होने के कारण एक मुश्त भुगतान करने में औद्योगिक इकाईयों द्वारा असमर्थता जाहिर करते हुए इसे किस्तों में करने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार इस मामले में विचारार्थ निदेशक पर्षद् की 50वीं बैठक दिनांक 07.03.17 में रखा गया। पर्षद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि - एक्जिट पॉलिसी के तहत प्राप्त सभी भूखण्डों के आवंटन में पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया यथा- 30% प्रथम किस्त एवं शेष राशि 10% वार्षिक ब्याज के साथ 7 बराबर किस्तों में भुगतान लिया जाये।

ह0/-

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक.....1846/0.....

दिनांक.....20/03/17

प्रतिलिपि :- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर, आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा पटना/ विशेष कार्य पदा0-सह-जन सम्पर्क पदा0, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
20/3/17

कार्यकारी निदेशक।